पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 ई0 (पौष 01, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–51

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	871–908	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1209–1213	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	119–121	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	251	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

लोक निर्माण अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

18 अक्टूबर, 2018 ई0

संख्या 1553/III(1)/18–09(अधि0)/05 टीसी0–1–लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड में मौलिक रूप से नियुक्त श्री राकेश चन्द्र पुरोहित, मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (सिविल) को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रमुख अभियन्ता, वेतनमान ₹ 67,000–79,000 (वेतन मैट्रिक्स लेवल–16, ₹ 1,82,200 से 2,24,100) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राकेश चन्द्र पुरोहित को प्रमुख अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. उपरोक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या–144/एस0बी0/2018 एवं रिट याचिका संख्या–146/एस0बी0/2013 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

कार्मिक अनुभाग–4

विज्ञप्ति/नियुक्ति

16 नवम्बर, 2018 ई0

संख्या 361/XXX(4)/2018–04(1)/2018–उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा–2018 में चयनित तथा प्रोन्नत अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा अपने पत्र संख्या–5163/UHC/Admn.A/HJS/2018, दिनांक 03 नवम्बर, 2018 द्वारा निम्नलिखित क्रम में संस्तुति की गई है:–

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
1.	श्री अब्दुल कय्यूम	सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, डी0एल0एस0ए0, देहरादून	पदोन्नति कोटा
2.	श्री मिथिलेश झा	चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी	पदोन्नति कोटा
3.	श्री कुलदीप शर्मा	चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट, रूद्रप्रयाग	सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कोटा
4.	श्री नन्दन सिंह	सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, डी0एल0एस0ए0, टिहरी गढ़वाल	पदोन्नति कोटा
5.	श्री अरविन्द नाथ त्रिपाठी	चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट, नैनीताल	पदोन्नति कोटा
6.	श्री राकेश कुमार सिंह	चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट, चमोली	सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कोटा
7.	सुश्री प्रतिभा तिवारी	सिविल जज (सी0डि0), देहरादून	सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कोटा
8.	श्री राजू कुमार श्रीवास्तव	चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट, हरिद्वार	सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कोटा

2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुति के क्रम में उपरोक्त 08 अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा, वेतनमान ₹ 51,550–1,230–58,930–1,380–63,070, ग्रेड वेतन ₹ 8,900 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए श्री राज्यपाल परिवीक्षा पर रखते हैं।

4. उक्त अभ्यर्थियों के तैनाती आदेश मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पृथक् से निर्गत किए जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–7

अधिसूचना

प्रकीर्ण

27 नवम्बर, 2018 ई0

संख्या 1210/XX–7–2018–01(65)2016–श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2008) की धारा 3, सपठित धारा 87 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस बल की मोटर परिवहन शाखा में आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक, उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पदों पर चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का अवधारण और स्थाईकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित सेवा नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2018

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक, उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएँ

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों, इस नियमावली में:–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक मोटर परिवहन के संबंध में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक एवं उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक अभिप्रेत है;

(ख) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ग) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "राज्यपाल" से, उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(च) "विभागाध्यक्ष" से पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा का सदस्य" से, सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "पुलिस मुख्यालय" से पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड का कार्यालय अभिप्रेत है;

(झ) "**सेवा**" से उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है;

(ट) "**चयन समिति**" से सेवा के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु कर्मियों के चयन के लिए नियम–8 के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है;

(ठ) "**मौलिक नियुक्ति**" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई है;

(ड) "**भर्ती का वर्ष**" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न कर दिये जाये, परिशिष्ट–क के अनुसार होगी।

परन्तु यह कि:

(एक) सरकार कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं के पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकती है।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन
रिक्तियों का अवधारण

रिक्तियों का अवधारण

5. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष में होने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेंगे और उसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को देंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रिक्तियों की संख्या चयन समिति को सूचित की जायेगी।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों–अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण चयन के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार
भर्ती का स्रोत

भर्ती का स्रोत

7. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(क) **आरक्षी चालकः–** आरक्षी चालक के शत–प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी पी0ए0सी0 एवं आरक्षी आईआर0बी0 से भरे जायेंगे, जो नियम–8 में उल्लिखित पात्रता रखते हों।

(ख) **मुख्य आरक्षी चालकः–** मुख्य आरक्षी चालक के शत्–प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा आरक्षी चालकों से भरे जायेंगें।

(ग) **उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन):–** उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) की शत्–प्रतिशत पदों को मुख्य आरक्षी चालकों में से विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरा जायेगा।

भाग–पाँच
चयन हेतु अर्हतायें/प्रक्रिया

चयन हेतु अर्हतायें/ प्रक्रिया

8. (क) **आरक्षी चालकः–**

(1) **अर्हतायें:–** आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु निम्नलिखित योग्यता धारण करने वाले कर्मी अर्ह होगें:–

(क) पुलिस परिवहन शाखा में कम से कम 06 माह से क्लीनरी अथवा वाहन चलाने का कार्य कर रहा हो।

(ख) चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 35 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों।

(ग) अच्छे स्वास्थ्य का हो और बिना चश्मे या सहायता से आंखों की दृष्टि 6/6 हो।

(घ) पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हो।

(ड) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भारी तथा हल्के वाहनों का ड्राईविंग लाइसेंस धारक होना अनिवार्य है।

(च) भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(छ) विगत पांच वर्षो की अवधि में:–

(1) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो; या

(2) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो; या

(3) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों ; या

(4) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

(2) चयन समितिः– आरक्षी चालक के चयन हेतु निम्नलिखित चयन समिति गठित की जाएगीः–

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक – अध्यक्ष
2– अपर पुलिस अधीक्षक – सदस्य
3– पुलिस उपाधीक्षक – सदस्य

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के एक अधिकारी को चयन समिति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित संख्या में कर्मियों को चयन हेतु बुलाया जायेगाः–

(क) 1 से 05 रिक्तियों के लिए– रिक्तियों की संख्या का दो गुना परन्तु कम से कम 05

(ख) 5 से अधिक रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना परन्तु कम से कम 10

(3) चयन प्रक्रियाः– आरक्षी चालक का चयन, चयन समिति द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगाः–

(क) आवेदन पत्रः– पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड के द्वारा समस्त जिलों और इकाईयों से इस नियम के 8(क) (1) में उल्लिखित पात्रताओं के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी पीएसी/आईआरबी से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। यह सूचना पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

(ख) बुलावा पत्रः– उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किये जाने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा और संबंधित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा और पात्र अभ्यर्थियों को चालन दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु संबंधित जनपद, इकाई और पीएसी/आईआरबी वाहिनी के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति को उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) चालन दक्षता परीक्षाः–पात्र अभ्यर्थियों से चयन समिति के समक्ष चालन दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चालन दक्षता परीक्षा पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जायेगी।

(घ) अन्तिम चयन सूचीः– चयन समिति द्वारा चालन दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की जायेगी।

ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जायेगाः–

(1) मोटर परिवहन पुलिस में चयन के पश्चात् निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण

करने पर मोटर परिवहन पुलिस में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से।

(2) मोटर परिवहन पुलिस में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान होने पर आरक्षी के पद पर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठ आरक्षी को वरिष्ठ मानते हुए वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा।

(3) आरक्षी के पद पर भर्ती तिथि समान होने पर उनकी जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा।

(4) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये आरक्षी मोटर परिवहन पुलिस कर्मियों की वरिष्ठता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित की जायेगी।

(ङ) स्वास्थ्य परीक्षणः– स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होना अनिवार्य होगा।

(ख) मुख्य आरक्षी चालकः–

(1) अर्हतायेंः– मुख्य आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु निम्नलिखित योग्यता धारण करने वाले कर्मी अर्ह होंगेः–

(क) आरक्षी चालक के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

(ख) विगत पांच वर्षों का सेवाभिलेख संतोषजनक अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हों।

(ग) विगत पांच वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो एवं दीर्घ दण्ड न मिला हो।

(घ) विगत पांच वर्ष में कोई लघु दण्ड न मिला हो।

(ङ) विगत पांच वर्ष में कोई क्षुद्र दण्ड न मिला हो।

ऐसे आरक्षी चालक जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही/जॉच लंबित हो अथवा अभियोग पंजीकृत हो, तो निर्णय की प्रत्याशा में उनका चयन परिणाम लिफाफें में सीलबन्द कर दिया जायेगा।

(2) चयन समितिः– मुख्य आरक्षी चालक के पद हेतु चयन समिति के निम्न पदाधिकारी होंगेः–

(1) पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर का एक अधिकारी – अध्यक्ष

(2) पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 02 अधिकारी – सदस्य

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के एक अधिकारी को चयन समिति में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(ग) उप निरीक्षक (मोटर परिवहन):–

(1) अर्हतायेंः– उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद पर **परिशिष्ट–'ख'** में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार चयन द्वारा ऐसे मुख्य आरक्षी चालकों में से भरी जाएंगी जो निम्न पात्रता पूरी करते हों:–

(क) मुख्य आरक्षी, चालक के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाये गये हों।

(ग) विगत पांच वर्षों की अवधि में:–
(1) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो या
(2) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो या
(3) कोई लघु दण्ड न मिला हों या
(4) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

(2) चयन समिति:– चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्य निम्न पदाधिकारी होंगे:–
पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक स्तर का एक अधिकारी – अध्यक्ष
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक स्तर का एक अधिकारी – सदस्य
सहायक पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के दो अधिकारी – सदस्य
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के एक अधिकारी को चयन समिति में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) चयन प्रक्रिया:–
(क) चयन समिति द्वारा प्रश्न–पत्र तैयार किये जायेगे। इसके अतिरिक्त तकनीकी प्रैक्टिकल परीक्षा हेतु किसी तकनीकी अधिकारी को अपने स्तर से शामिल करेगी। जो परिवहन विभाग का आर0आई0, ए0आर0टी0ओ0 अथवा आर0टी0ओ0 स्तर का अधिकारी होगा।
(ख) आवेदन पत्र:– पुलिस मुख्यालय सेवा परिपत्र के माध्यम से समस्त जिलों, इकाईयों और पीएसी/आईआरबी वाहिनियों के पात्र मुख्य आरक्षी चालकों से आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा।
(ग) बुलावा पत्र:– पुलिस मुख्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किये जाने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा और सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा और पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उनके जनपद इकाई एवं पीएसी/आईआरबी वाहिनी के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।
(घ) विभागीय परीक्षा:– परिशिष्ट–'ख' में विहित प्रक्रिया के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।
(ड) सेवाभिलेख:–चयन समिति द्वारा **परिशिष्ट–'ख'** में यथा सेवाभिलेखों के आंकलन के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे।
(च) अन्तिम चयन सूची:– चयन समिति द्वारा **परिशिष्ट–'ख'** में यथा विहित योग्यताक्रम में अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी।
(छ) स्वास्थ्य परीक्षण:–स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण

9. (1) **आरक्षी चालकः**— चालक पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों को चयन समिति द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठताक्रम के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित बेसिक प्रशिक्षण कुल 04 माह यथा (03 माह का विहित प्रशिक्षण एवं 01 माह का हिल ड्राईविंग प्रशिक्षण) सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। प्रशिक्षण अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों को आरक्षी चालक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। प्रशिक्षण में असफल घोषित ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को उनके मूल संवर्ग में वापस भेज दिया जायेगा।

आरक्षी चालक का "एडवांस मैकेनिक कोर्स"

परिवीक्षा अवधि के दौरान, परिवीक्षाधीन व्यक्ति से पुलिस मुख्यालय द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी।

ऐसे आरक्षी चालक, जिन्होंने एडवांस मैकेनिक कोर्स उत्तीर्ण नहीं किया है, द्वारा ज्येष्ठता क्रम में आरक्षी चालक के रूप में नियुक्ति के दिनांक से 03 वर्ष के भीतर "एडवांस मैकेनिक कोर्स" अनिवार्यतः पूर्ण करा लिया जाय। ज्येष्ठताक्रम में उन्हें उक्त कोर्स के लिये, जो वर्ष में दो बार आयोजित होगा, भेजा जायेगा। प्रशिक्षण अनुभाग, पुलिस मुख्यालय इस कोर्स को कराना सुनिश्चित करेगा।

(2) **मुख्य आरक्षी चालकः**— चयन समिति द्वारा मुख्य आरक्षी चालक के पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों से पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित 03 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी तथा ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण में असफल घोषित हुए हों, उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक अवसर और प्रदान किया जायेगा। पुनः असफल घोषित होने पर उन्हें उनके पूर्व पद पर वापस भेज दिया जायेगा।

(3) **उप निरीक्षक (मोटर परिवहन):**— चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों से पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित 03 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी तथा ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण में असफल घोषित हुए हों, उन्हें प्रशिक्षण पूर्ण करने का एक अवसर और प्रदान किया जायेगा। पुनः असफल घोषित होने पर उनके मूल संवर्ग पर वापस भेज दिया जायेगा।

नियुक्ति/पदोन्नति

10. (1) **आरक्षी चालकः**— आरक्षी चालक पाठ्यक्रम हेतु चयनित आरक्षी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर आरक्षी चालक के रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगें। जिस आरक्षी का एक बार मोटर परिवहन पुलिस में आबंटन हो जायेगा उसे संवर्ग परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(2) **मुख्य आरक्षी चालकः**— निर्धारित प्रशिक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों

को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जायेगी।

(3) उप निरीक्षक (मोटर परिवहन):– निर्धारित प्रशिक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उप निरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जायेगी।

पदोन्नति लेने से इन्कार

11. विभागीय चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु संस्तुत किये गये किसी कार्मिक द्वारा पदोन्नति आदेश निर्गत होने पर विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और पदोन्नति को अस्वीकार किया जाता है तो उस दशा में नियुक्ति प्राधिकारी उसके पदोन्नति आदेश को निरस्त करते हुए उस चयन वर्ष में अन्य उपयुक्त पाये गये कार्मिक या उपयुक्त पाये जाने वाले कार्मिक को पदोन्नत करने के संबंध में विचार कर सकेंगें।

भाग–छः

परिवीक्षा, स्थायीकरण, ज्येष्ठता एवं प्रत्यावर्तन

परिवीक्षा

12. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों में, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

13. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति को स्थायी कर दिया जायेगा, यदिः

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय ; और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उक्त नियमावली के नियम 5 कें उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

14. (1) **आरक्षी चालकः–** सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ अवधारित की जायेगी कि किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा। एक चयन के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता चयन समिति द्वारा जारी चयन सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

आरक्षी चालक की ज्येष्ठता उनके ड्राईविंग कोर्स में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची से अवधारित की जायेगी। ड्राईविंग कोर्स में समान अंक प्राप्त होने की दशा में उनकी भर्ती तिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। अंक एवं भर्ती तिथि समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। उपरोक्त दोनों तिथियां समान होने की दशा में हाई स्कूल प्रमाण–पत्र में उल्लिखित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार ज्येष्ठता अवधारित होगी।

(2) **मुख्य आरक्षी चालकः–** मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु ज्येष्ठता का निर्धारण आरक्षी चालक के पद पर अन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(3) **उप निरीक्षक (मोटर परिवहन):–**एक चयन से चयनित उपनिरीक्षक, (मोटर परिवहन) की ज्येष्ठता मुख्य आरक्षी चालक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी। परन्तु पूर्ववर्ती चयन का उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) पश्चात्वर्ती चयन में नियुक्त उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) से ज्येष्ठ होगा।

आरक्षी चालक का प्रत्यावर्तन

15. नियुक्ति प्राधिकारी आरक्षी चालक के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को मोटर परिवहन शाखा के कार्य के लिए स्वास्थ्य, विकलांगता के आधार पर, ड्राईविंग लाइसेंस निरस्त होने के कारण अनुपयुक्त पाये जाने पर पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय/कार्मिक के अनुमोदनोपरान्त उसे मूल संवर्ग में वापस भेज सकेगा। इस प्रकार प्रत्यावर्तित किये गये व्यक्ति को

उसके मूल संवर्ग मे उसकी पूर्व की ज्येष्ठता के अनुसार समायोजित किया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित कर्मी के विरूद्ध लंबित विभागीय अथवा आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

मुख्य आरक्षी चालक का कार्य

16. मुख्य आरक्षी चालक से आवश्यकता अनुसार वाहन चलानें का कार्य भी लिया जा सकेगा।

भाग–सात

वेतन एवं भत्ते आदि

वेतनमान/भत्ते

17. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत है:–

क्र0	पदनाम	वेतनमान
1–	उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन)	रू0 44900–142400 वेतन मैट्रिक्स लेवल–7
2–	मुख्य आरक्षी, चालक	रू0 25500–81100 वेतन मैट्रिक्स लेवल–4
3–	आरक्षी चालक	रू0 21700–69100 वेतन मैट्रिक्स लेवल–3

उक्त के अतिरिक्त सेवा के सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत भत्ते पाने के हकदार होंगे।

मुख्य आरक्षी चालक (प्रोन्नत वेतनमान) पदनामित एवं अर्हतायें

18. ऐसे समस्त प्रशिक्षित मुख्य आरक्षी चालक जिन्होंने मौलिक पद (आरक्षी) के संदर्भ में 16 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है और जिन्हें उप निरीक्षक के पद के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत हो चुका है, को मुख्य आरक्षी चालक (प्रोन्नत वेतनमान) का पदनाम दिया जायेगा और वे सहायक उप निरीक्षक (एम) की भांति वर्दी धारण करेंगे।

भाग–आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

19. सेवा के किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं अन्य सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

20. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अधीन बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

21. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

सेवाकाल के दौरान वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण

22. प्रत्येक उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन), मुख्य आरक्षी चालक एवं आरक्षी चालक का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य परीक्षण शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप कराया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

वार्षिक शस्त्र चालन, प्रशिक्षण एवं फायरिंग अभ्यास

23. प्रत्येक उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन), मुख्य आरक्षी चालक, एवं आरक्षी चालक विभागाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित वार्षिक शस्त्र चालन एवं फायरिंग अभ्यास करेगा।

व्यावृति

24. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्गो और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–क

नियम–4(2) देखें

पद का नाम	स्वीकृत नियतन
आरक्षी चालक	506
मुख्य आरक्षी चालक	70
उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन)	09
योग	**585**

परिशिष्ट–'ख'
(नियम–8(ग) देखें)

विभागीय परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद पर चयन की प्रक्रिया

1– **विभागीय परीक्षा दो चरणों में होगी:–**

(क) उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी और इस परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को अन्तिम परिणाम में सम्मिलित किया जायेगा। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम चयन समिति द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त तैयार किया जायेगा। इस पाठ्यक्रम का उल्लेख इस परीक्षा हेतु चयन समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति में किया जायेगा। चयन समिति द्वारा प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार किया जायेगा। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

(ख) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से चयन समिति द्वारा आयोजित व्यवहारिक तकनीकी ज्ञान परीक्षा मे सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा 50 अंकों की होगी और इस परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी और प्राप्त किये गये अंक अन्तिम परिणाम में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम चयन समिति द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा। इस पाठ्यक्रम का उल्लेख इस परीक्षा हेतु चयन समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति में किया जायेगा।

2– **उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गयी है:–**

1. मुख्य आरक्षी, चालक के पद पर कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
2. विगत 05 वर्षो की अवधि में सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो तथा पूर्व विगत 05 वर्षों में कोई गम्भीर दण्ड न मिला हो।
3. उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की प्रान्तीय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा निम्न विषयों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी:–

	परीक्षा विषय	**अंक**
1–	वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा(हिन्दी– 30, सामान्य ज्ञान–30, तकनीकी ज्ञान–40)	100
2–	तकनीकी प्रैक्टिकल टेस्ट	50

3– **सेवा अभिलेखों का परीक्षण:–** सेवा अभिलेखों पर आधारित अधिकतम अंक 50 होंगे जिनका निर्धारण/मानक निम्न प्रकार किया जायेगा:–

(1) कोर्स (अधिकतम 10 अंक)

कोर्स का निर्धारण पुलिस महानिदेशक स्तर से विज्ञापन निर्गत करने से पूर्व वर्तमान परिवेश में पुलिस के समक्ष चुनौतियों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। चालक पद पर चयन/नियुक्त होने के उपरांत संबंधित कर्मचारी द्वारा किये गये कोर्स के अंक प्रशिक्षण अवधि के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगें:–

(क) 03 दिन से 07 दिन का कोर्स –02 अंक

(ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स –04 अंक

(ग) 15 दिन से 30 दिन का कोर्स –06 अंक

(घ) 01 माह से अधिक का कोर्स —08 अंक

(2)पुरस्कार/पदक—(अधिकतम—20 अंक)

(क)प्रत्येक नगद पारितोषिक के लिए— 01 अंक(अधिकतम 10 अंक)
(ख)महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक —10 अंक
(ग) मा0 प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक —10 अंक
(घ) वीरता पुलिस पदक —10 अंक
(ड) सराहनीय सेवा पुलिस पदक —08 अंक
(च)महामहिम राज्यपाल पदक —06 अंक
(छ) मा0 मुख्यमंत्री पदक —06 अंक
(ज) उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह —04 अंक
(झ) सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह —02 अंक

(3)वार्षिक मन्तव्य (अधिकतम 10 अंक)

(क)उत्कृष्ट श्रेणी/सर्वोत्कृष्टOut Standing- 02 अंक(प्रत्येक मन्तव्य पर)
(ख) अतिउत्तम Very good —01 अंक (प्रत्येक मन्तव्य पर)

(4) एडवांस मैकेनिक कोर्स —10 अंक

(5) ऋणात्मक अंक

(1) विगत 05 वर्षों से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रत्येक प्रतिकूल सत्यनिष्ठा/दीर्घ दण्ड के लिये 05 अंक की कटौती होगी।
(2) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 02 अंक की कटौती होगी।
(3) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक क्षुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 05 वर्षों के आंकलित होंगे तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा, जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरस्कार, पदक आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा।

3— अन्तिम चयन सूची:—

चयन समिति द्वारा विभागीय परीक्षा एवं सेवाभिलेख में प्राप्त अंकों के आधार पर उपनिरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद हेतु पात्र व्यक्तियों की योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होंगे तो उनकी योग्यता प्रथमतः आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं तत्पश्चात् उनकी जन्मतिथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि नियुक्ति की तिथि व जन्मतिथि भी समान होती है तो हाई स्कूल के प्रमाण—पत्र में
उल्लिखित अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के क्रम के अनुसार उनका योग्यताक्रम निर्धारित किया जायेगा।

इस प्रकार तैयार की गयी सूची चयन समिति द्वारा विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। उसके अनुमोदनोपरान्त उक्त सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा वेबसाइट/सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जायेगी।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "The Constitution of India". The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1210/XX-7-2018-01(65)2018**, dated November 27, 2018 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

November 27, 2018

No. 1210/XX-7-2018-01(65)2016--In exercise of the powers conferred under Section 3 read with sub-section (1) of section 87 of the Uttarakhand Police Act, 2007 (Act No. 1 of 2008) and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following service rules with a view to regulate the selection, promotion, training, appointment, determination of seniority and confirmation etc. to the post of Constable Driver, Head Constable Driver, Sub-Inspector (Motor Transport) in Motor Transport Branch of Uttarakhand Police Force.

THE UTTARAKHAND POLICE MOTOR TRANSPORT BRANCH SUB-ORDINATE SERVICE RULES, 2018

Part 01 General

Short title and commencement 1. 1.(1) These rules may be called the Uttarakhand Police Motor Transport Branch Sub-ordinate Service Rules, 2018.
(2) It shall come into force at once.

Status of service 2. The Uttarakhand Police Motor Transport Branch, Sub-ordinate Service is a State service which comprises Constable Driver, Head Constable Driver , Sub-Inspector (Motor Transport) Post.

Definitions 3. Unless anything repugnant to the subject or context, in these rules:
(a) "Appointing Authority" means the Superintendent of Police concerned in respect of Constable Driver, Head Constable Driver and Deputy Inspector General of Police in respect to Sub- Inspector (Motor Transport).
(b) "Constitution" means the constitution of India.
(c) "Citizen of India" means a person who is or deemed to be a citizen of India under Part II of the constitution.
(d) "Government" means the Government of Uttarakhand State.
(e) " Governor " means the Government of Uttarakhand State.
(f) " Head of department" means the Director General of Police Uttarakhand.
(g) " Member of service" means a person substantially appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of service.

(h) "Police headquarters" means the office of The Director General of Police, Uttarakhand

(i) **"Service"** means Uttarakhand Police Motor Transport Branch Subordinate service.

(j) "Selection Committee" means the committee constituted under rule 8 for appointment/promotion of candidates to a post in the service.

(k) "Substantive appointment" means an appointment, not being ad-hoc appointment on a post in the cadre of service made after selection in accordance with the rules and if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive order issued by the State Government.

(l) " Year of recruitment" means period of twelve months commencing from the first day of july of a calendar year.

Part II- Cadre

Cadre of service

4. **(1)** The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as maybe determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall until order varying the same are passed under sub rule (1)

Provided that:-

(i) The State Government may re-determine the number of posts for various units within the overall sanctioned allocation.

(ii) The appointing authority may leave a vacant post unfilled or the Governor may held in abeyance any vacant post without thereby entitling any person compensation .

(iii) The Governor may create such additional- permanent or temporary post, as he may consider proper..

Part III - Determination of vacancies

Determination of vacancies

5. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies and intimate to the Police Headquarters to be filled during the course of year. The number of vacancies shall be informed by Appointing Authority to the Selection Committee.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Schedule Castes. Schedule Tribes and other backward classes and candidates of other categories of Uttarakhand State shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Part IV- Source of Recruitment

Source of Recruitment

7. Recruitment to post of various categories in the service shall be made from the following sources:-

(a) Constable Driver:- 100% posts of Constable Driver shall be filled from amongst such substantively appointed Constable Civil Police , Constable Armed Police, Constable PAC and Constable IRB, Who fulfill the criteria as given in Rule-8.

(b) Head Constable Driver:- 100% posts of head constable driver (M/T) shall be filled from Constable Drivers by way of promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.

(c) Sub-inspector(Motor Transport):- 100% posts of Sub-inspector (Motor Transport) shall be filled from amongst the Head-constable Drivers through departmental exam.

Part V- Eligibility/Selection process

Eligibility/Selection process

8. **(A) Constable Driver:-**

(1) Eligibility:- The personnel having following qualification shall be eligible for the selection on the posts of constable driver-

(a) Must be working in police transport branch for at least 6 months period as Cleaner or Driver.

(b) Must not have attained the age of more than 35 years on the first day of selection year .

(c) Must possess good health and the vision should be 6/6 with or without spectacle.

(d) Must not have been reverted to the post of constable driver previously.

(e) The candidate should have obtained Heavy and Light Vehicle Driving License issued by the competent authority under Motor Vehicles Act,1988.

(f) Must have completed five years of service on 1st day of recruitment year (excluding training period) .

(g) During the last 05 years :-

(1) The integrity has not been withheld; or

(2) No major punishment has been awarded;or

(3) Two or more minor punishments have not been awarded;or

(4) No adverse entry has been awarded.

(2) Selection Committee:- Following Selection Committee for Selection of Constable Driver shall be constituted :-

1- Senior Superintendent of police/ Superintendent of police - Chairman

2- Additional Superintendent of police - Member

3- Deputy Superintendent of police - Member

It is mandatory to include one officer of SC/ST or OBC category in the selection committee.

Following number of Personnnel, proportionate to vacancies shall be called for selection

(a) For one to five vacancies-Two times the number of vacancies but atleast five .

(b) For more than five vacancies - One and a half times of the number of vacancies, but atleast ten.

(3) Selection Process:-

The selection to the post of constable driver shall be made by selection committee according to the following procedure -

(a) Application:

The Police Headquarters, Uttarakhand, shall invite the applications from Constable Civil Police, Constable Armed Police, Constable PAC/IRB from all districts and units according to the eligibilities mentioned in rule 8(A)(1) This notice shall also be uploaded on the police website.

(b) Call Letter:

The Police Headquarter shall cancel erroneous or incomplete application forms after scrutiny and inform the concerned candidates through proper channel and the eligibile candidates shall be informed for appearing in driving efficiency test through officer-in-charge of concerned District, Unit and PAC/IRB Battalion. The Police Headquarter shall provide the list of eligible candidates to the selection committee.

(c) Driving efficiency test:

The eligible candidates shall be required to appear before the selection committee for driving efficiency test. The driving efficiency test shall be conducted as per the procedure laid down by Police Headquarters.

(d) The final selection list:

The selection committee shall issue the list of successful candidates. The seniority shall be determined as following procedure.

(1) On the date of joining Motor Transport Police after due selection in Motor Transport Police, and on completion of the prescribed training.

(2) The date of joining Motor Transport Police being the same, the seniority shall be determined from the date of appointment to the post of Constable and the Senior Constable shall be considered senior.

(3) The date of appointment to the post of constable being the same the seniority shall be determined on the basis of their date of birth.

(4) The seniority of constable Motor Transport Police personnel selected through any manner shall be taken into account from the date of their joining.

(e) Medical Examination: It shall be mandatory to pass the medical examination.

(B) Head Constable Drivers:-

(1) Eligibility:- The personnel having following qualification shall be eligible for the selection on the posts of Head Constable Driver.

(a) Must have completed five years of service as constable driver.

(b) The service records for the last five years must be satisfactory i.e. no adverse annual entry is made.

(c) During last five years integrity is not withheld and must not have been awarded any major punishment.

(d) During last five years no minor punishment has been awarded.

(e) During last five years no petty punishment has been awarded

Such constable drivers against whom any departmental action or investigation is undergoing or any charge has been registered, then, in anticipation of the outcome of the findings, their result shall be kept in sealed envelope.

(2) The Selection Committee:- The selection committee for the post of Head Constable Driver shall comprise of the following officers :

1.One officer of Deputy Inspector General of Police level - Chairman

2. Two officers of Superintendent of police/Additional Superintendent of police /Deputy Superintendent of police level - Members

It is mandatory to include an officer of SC/ST or OBC category in the selection committee.

(C) Sub-inspector(Motor Transport):-

(1) Eligibility:- The posts of Sub-Inspector (Motor Transport) shall be filled out of Head-Constable Drivers as per procedure given in Annexure-B who fulfiles the following eligibility :-

(a) Have completed five years service as Head Constable Driver.

(b) Has not been found unsuccessful in yearly medical test.

(c) During the last five years :-

(1) The integrity has not been withheld;or
(2) Has not been awarded any major punishment;or
(3) Has not been awarded any minor punishment;or
(4) No adverse entry has been made.

(2) Selection Committee:-

The Chairman/members of the selection committee shall be following officials:-

1. One Inspector General/Deputy Inspector General level officer - Chairman
2. One Senior Superintendent of police/Superintendent of police/ Commandant level officer – Member
3- Two Assistant Superintendent of police /Additional Superintendent of police /Deputy Superintendent of police level officer -Members

One officer from SC,ST or OBC category shall be included the selection committee.

(3) Selection Process:-

(a) The question papers shall be prepared by selection committee Besides it for technical practical test, a technical officer shall be included who should be an officer of the level of RI, ARTO, or RTO in transport department.

(b) Application - The police headquarter shall invite applications from the eligible head constable drivers of all the districts/units and PAC/IR battalion.

(c) Call letter-

The police headquarters shall cancel erroneous or incomplete application forms after scrutiny and inform concerned candidates through proper channel and the eligible candidates shall be informed for appearing in examination through officer-in-charge of concerned District, unit and PAC/IRB battalion. The Police Headquarters shall provide the list of eligible candidates to the selection committee.

(d) Departmental examination- The eligible candidate shall be required to appear in departmental examination as per procedure given in Annexure -B .

(e) Service records- Marks on the basis of assessment of service records shall be awarded as prescribed by the selection Committee in Annexure-B.

(f) Final selection list - The selection committee shall prepare the final selection list in order of merit as prescribed in Annexure B.

(g) Medical examination - It shall be mandatory to be successful in medical examination.

Training

9. **(1)Constable Driver:-** The candidates selected for driver course shall be required to successfully undergo the basic training of four month (i.e prescribed training of three month and one month hill driving training) as prescribed by the transport department in order of seniority list determined by the selection committee. The technical section shall prepare the list of successful candidates in training and provide the same to the police Headquarters. The Police Headquarters shall issue order to join duty as constable driver to the candidates declared successful in the training. The selected candidates declared unsuccessful in the training shall be sent back to their parent cadre.

The "Advance Mechanic Course" of Constable Driver:-

During the probation period, the probationer shall be required to undergo training as determined by the police Headquarter.

Such constable drivers who have not passed Advance Mechanic Course, shall mandatory be made to complete the Advance Mechanic Course within three years from the date of appointment as Constable driver in order of seniority. They shall be sent in order of their seniority for the said course, held twice in a year. The technical Section, Police Headquarters shall ensure to conduct this course.

(2) Head Constable Driver:- The list of candidates selected for the post of Head Constable Driver shall be provided by the selection committee to Police Headquarter. The selected candidates shall be required to successfully undergo three months training as determined by the Police Headquarters and such selected candidates declared unsuccessful in training shall be given one more chance to complete the training. Being declared fail again, they shall be reverted back to their parent cadre.

(3) Sub-inspector(Motor Transport):- The list of candidates selected for the post of sub-inspector (Motor Transport) shall be provided by the selection committee to the Police Headquarter. The selected candidates shall be required to successfully undergo three months training as determined by the Police Headquarters and such selected candidates declared unsuccessful in training shall be given one more chance to complete the training. Being declared fail again. they shall be reverted back to their parent cadre.

Appointment /Promotion.

10. (1) **Constable Driver:-** The Selected candidates who have completed their training successfully, the Appointing Authority shall issue the order of their appointment against the vacant vacancy of Constable Drivers. Constable once allotted in Motor Transport Police shall not be permitted to change the cadre.

(2) **Head Constable Driver:-** The candidate declared successful in prescribed training shall be granted promotion by the Appointing Authority, from the date of assumption of charge on the post of Head constable drivers.

(3) **Sub-inspector(Motor Transport):-** The candidate declared successful in prescribed training shall be granted promotion by the Appointing Authority, from the date of assumption of charge on the post of Sub-inspector (motor transport).

Refusal from Promotion

11. On recommendation for promotion by Departmental Selection Committee, if any personnel fails to take over the charge on promotional post within prescribed time after issue of promotional order and refuses from taking promotion, in that case, the Appointing authority shall cancel his promotion order and may consider in relation to promoting any other suitable personnel or personnel found to be suitable in that selection year.

Part VI

Probation, Confirmation, Seniority and Restoration

Probation

12. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which period it is extended;

Provided that, in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances, beyond two years.

(3) If it appears to Appointing Authority at any time, during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or otherwise fails to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his service may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub- rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any

other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

13. (1) Subject to provisions of Sub-rule(2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if

(a) He has successfully undergone the prescribed training

(b) His work and conduct is reported to be satisfactory.

(c) His integrity is certified.

(2) Where confirmation is not necessary under provisions of the Uttarakhand State Government Servants Confirmation Rules,2002, there the order of declaration under sub-rule(3) of rule 5 that the concerned person has successfully completed the probation period, shall be deemed order of confirmation.

Seniority

14. **(a) Constable Driver:-** The seniority of the persons substantively appointed to a post in the service shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules,2002 (as amended from time to time) with the restriction that the person appointed through previous selection shall be senior to the person appointed in subsequent selection. The inter seniority of persons selected through one selection shall be determined according to the selection list issued by the selection committee.

The seniority list of constable driver shall be determined on the basis of their name in the merit list of marks obtained in driving course. The marks in driving course being the same, it shall be determined on the basis of their date of appointment. Marks and date of appointment being the same, it would be determined on the basis of date of birth. In case both the above dates being the same, the seniority shall be determined according to the alphabetical order of their names mentioned in High school certificate.

(b) Head Constable Driver:- The seniority on the post of the Head Constable Driver shall be determined on the basis of final seniority list of the constable driver.

(c) Sub-inspector(Motor Transport):- The seniority of a Sub Inspector (Motor Transport) selected through one selection shall be determined on the basis of final seniority list of Head Constable Driver:

Provided that, the Sub-Inspector (Motor Transport) selected through previous selection shall be senior to the Sub-Inspector (Motor Transport) appointed in subsequent selection.

Restoration of Constable Driver

15. A person posted as constable driver, found unfit for duty of Motor Transport Branch on ground of health, physical disability, cancellation of his driving licence, the appointing authority may after approval by the Inspector General of Police Headquarters/personnel revert him to his parent cadre. The person so reverted shall be adjusted according to his seniority in the parent cadre. This revertion shall not affect the departmental or criminal proceeding initiated against him.

Duties of Head Constable Driver

16. The Head Constable Driver shall be required to work as a driver as per requirements.

Part VII- Pay & Allowances etc

Pay Scale/Allowances

17. The scales of pay admissable to persons appointed to various categories of posts in the service shall be such as may be prescribed by the Government from time to time .

The pay scale in the beginning of these rules shall be as under:-

Sl. No	Designation	Pay band	Pay Matrix
1	Sub-Inspector, Motor Transport	44900-142400	7
2	Head Constable Driver	25500-81100	4
3	Constable Driver	21700-69100	3

In addition to above the members of service shall be entitled for allowances as santioned by the State Government from time to time.

Designation as Head Constable Driver (Promotional payscale) and eligibility

18. All such trained Head Constable Drivers who have rendered 16 years of regular satisfactory service on the substantial post of constable and who have been sanctioned equivalent pay scale as to the post of Sub-Inspector shall be designated as Head Constable Driver (promotional pay scale) and shall wear uniform as Assistant Sub Inspector(M).

Part VIII- Other Provisions

Canvassing

19. No recommendations, either written or oral other than those required under the rules applicable to a post in the service shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

20. In regard to the matters not specifically covered by these rules persons appointed to the service shall be subject to the various rules, regulations and orders made under the Police Act.

Relaxation in service rules

21. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, not with standing anything contained in any rule applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in just and equitable manner.

Annual Medical examination during service

22. Every Sub-Inspector (Motor Transport), Head Constable Driver and Constable Driver shall compulsorily go under medical examination every year according to order issued by Government from time to time. The medical examination shall be carried out by the Chief Medical Officer of the district according to relevant rules.

Annual Armed Test, Training & Firing Practice

23. Every Sub-Inspector (Motor Transport), Head Constable Driver and Constable Driver shall undergo an annual Arms firing and training practice as determined by the head of department from time to time.

Savings

24. Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the scheduled castes, Scheduled tribes, other backward classes and other special categories of persons in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard.

Annexure -A

See Rule- 4(2)

Name of Post	Sanctioned Posts
Constable Driver	506
Head Constable Driver	70
Sub-Inspector (Motor Transport)	09
Total	**585**

Annexure -B

See Rule- 8(C)

Procedure for selection through departmental examination to the post of Sub-Inspector (Motor transport)

1. **The Departmental test shall be in two steps**

(A) For selection to the post of Sub-Inspector (Motor Transport) the candidates shall be required to appear in the writtten exam. This exam shall be of 100 marks and to qualify in the exam the candidate has to secure minimum 35 marks . The result of the marks obtained in this exam shall be included in final result.The syllabus of this exam shall be prepared by the selection committee after consulting the Head of Department. The reference to this syllabus shall be made by the selection committee in the notification issued by it . The selection committee shall prepare the format of the question paper. The candidates successful in this exam shall appear in the next test.

(B) The candidates successful in the written exam shall be required to appear in the professional technical knowledge exam organized by the selection committee. This exam shall carry 50 marks and to qualify in the exam 25 minimum marks have to be scored. This exam shall be of qualifying nature and the marks obtained in this test shall not be included in the final result . The syllabus of this exam shall be prepared by the selection committee after consultation with the head of the department. The reference to the syllabus of this exam shall be made by the selection committee in the notification issued for the purpose.

2. The following process has been prescribed to fill up the vacant postof Sub-Inspector (Motor Transport) through departmental promotion

1. Must have rendered at least 5 years service as Head Constable Driver.

2. The integrity report during the last 5 years has not been withheld and has not been penalised for any serious offence during the last 5 years.

3. The examination by the committee selected at Government level shall conduct the following tests for promotion to the post of Sub-Inspector Transport.

Subjects of the test	**Marks**
1. Objective type written test (Hindi 30, General Knowledge 30, Technical knowledge40)	100
2. Technical practical test	50

3. The evaluation of service record shall be of 50 marks which shall be determined as under:-

(1) Course (Max Marks 10)

The specified course will be decided at the Directed General of Police level before issuance of advertisement based on the existing challenges before police in a transparent manner. Marks of the course will be given depending on training period in the following way by a particular personnel after selection/ appointed the post of Sub-Inspector (Motor Transport):-

(A)Course for 3 days to 7 days 02 marks
(B)Course for 8 days to 14 days 04 marks
(C)Course for 15 days to 30 days 06 marks
(D)Course for above 01 month 08 marks

(2) Awards/Medal (Max Marks 20)

(a) For every cash award 01 mark (Max Mark 10)
(b) Hon'ble President's Police medal - 10 marks
(c) Hon'ble Prime Minister live saving medal - 10 marks
(d) Police bravery award - 10 marks
(e) Commendable service police medal - 08 marks
(f) Hon'ble Governor medal - 06 marks
(g) Hon'ble Chief Minister medal - 06 marks
(h) Excellent services award - 04 marks
(i) Commendable services award - 02 mark

(3)Annual report (Max marks 10)

(A) Excellent category/Outstanding - 02 marks **(on every entry)**
(B) Very Good - 01 marks **(on every entry)**

(4) Advance Mechanic Course- 10 marks

(5) Determination of negative marking.

(1) For every adverse integrity/major punishment before the last 5 years - 05 marks will be deducted for every entry.

(2) For every minor punishment before the last 5 years - 02 marks will be deducted for every entry.

(3) For every Petty offence before the last 05 year-01 marks shall be deducted for every entry.

For the purpose of evaluation of service records confidential target shall be calculated for the last 05 years and the calculation for the punishment shall be up to last 10 years. Whereas the service record for service, education training, award, medal etc. Shall be evaluated for the period of up to 01st July of the selection year.

3- Final Selection List

The selection committee shall prepare a list of eligible candidates for the post of Sub-Inspector(Motor Transport) on the basis of marks obtained in departmental exam and service records. If two or more candidates score equal marks their seniority in the first place shall be determined from the date of their joining duty as Constable Driver and afterwards on the basis of their date of birth. If the date of birth and date of appointment is same then it shall be determined by the position of first letter of their name in English alphabet in High school certificate.

The list prepared above shall be Provided to the head of the department by the selection committee. After getting approval it shall be published on the website/notice board by police head quarters.

By Order,

ANAND BARDHAN,
Principal Secretary.

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति

26 अक्टूबर, 2018 ई0

संख्या 2066/II(1)–2018–01(46)–2002–एतद्द्वारा यह विज्ञप्ति की जाती है कि उत्तराखण्ड प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) श्रेणी 'क' एवं 'ख' के निम्नलिखित अधिकारी, उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि व 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवानिवृत्त हो जायेंगे:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम सर्वश्री	जन्मतिथि	पदनाम	सेवानिवृत्त की तिथि
1.	आदित्य कुमार दिनकर	30.06.1959	प्रमुख अभियन्ता	30.06.2019
2.	दान सिंह कुटियाल	04.03.1959	मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 (सिविल)	31.03.2019
3.	त्रिभुवन सिंह	01.01.1960	मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 (सिविल)	31.12.2019
4.	त्रिलोक सिंह मर्तोलिया	25.07.1959	अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक)	31.07.2019
5.	नरेन्द्र कुमार यादव	05.11.1959	अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक)	30.11.2019
6.	सुधीर मोहन	30.05.1959	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	31.05.2019
7.	राकेश चन्द्र उनियाल	25.06.1959	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	30.06.2019
8.	गणपति प्रसाद सिलवाल	02.12.1959	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	31.12.2019
9.	मदन कुमार	14.07.1959	सहायक अभियन्ता (सिविल)	31.07.2019
10.	महेश चन्द्र उप्रेती	28.10.1959	सहायक अभियन्ता (सिविल)	31.10.2019
11.	बिजेन्द्र कुमार	05.12.1959	सहायक अभियन्ता (सिविल)	31.12.2019
12.	राजेन्द्र प्रसाद भट्ट	21.11.1959	उप राजस्व अधिकारी	30.11.2019
13.	नत्थी सिंह कुण्डरा	04.04.1959	उप राजस्व अधिकारी	30.04.2019
14.	अजय कुमार	05.07.1959	सहायक शोध अधिकारी	31.07.2019
15.	सुखवीर	07.12.1959	सहायक शोध अधिकारी	31.12.2019

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

01 नवम्बर, 2018 ई0

संख्या 1744/XXVIII–2/01(25)2018–जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 की धारा 11(1) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सचिव चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष,
2. महानिदेशक/निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तराखण्ड, देहरादून — सदस्य (सचिव),
3. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो — सदस्य,
4. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो — सदस्य,

5.	सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो	सदस्य,
6.	सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड	सदस्य,
7.	निदेशक, शहरी विकास, निदेशालय, उत्तराखण्ड	सदस्य,
8.	भारतीय चिकित्सा संघ, उत्तराखण्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य,
9.	राज्य में कार्यरत किसी स्वयंसेवी संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य।

2. उपरोक्तानुसार गठित समिति में बिन्दु संख्या–8 एवं 9 में नामित सदस्यों का कार्यकाल नामनिर्दिष्ट होने की तिथि से 02 वर्ष होगा तथा उक्त सदस्यों को नामित किए जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उक्त समिति जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 की धारा 11(3) के अनुसार कम से कम 06 माह में एक बार बैठक करेगी तथा राज्य में इन नियमों के लागू होने सम्बन्धी सभी मामलों की समीक्षा करेगी।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

आवास अनुभाग–2

अधिसूचना

26 नवम्बर, 2018 ई0

संख्या 1557/V–2–2018–07(एल0यू0सी0)/2016–राज्य सरकार द्वारा ऋषिकेश महायोजना, 2011 में नीचे दी गई अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के संबंध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 18.07.2018 का प्रकाशन 02 दैनिक समाचार–पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में दिनांक 01.09.2018 में प्रकाशित कराई गई। भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास अधिनियम, 1986) (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा–12 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम श्री राज्यपाल, ऋषिकेश महायोजना–2011 में नीचे दी गई अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

अनुसूची

क्र0 सं0	स्थल/ग्राम का नाम	भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित खसरा नं0	क्षेत्रफल (हेक्टे0 में)	महायोजना में वर्तमान भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
1	2	3	4	5	6
1.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	463	695.56	कृषि	पर्यटन
2.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	464	56.65	कृषि	पर्यटन
3.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	465	70.00	कृषि	पर्यटन
4.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	466	—	कृषि	पर्यटन
5.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	467	62.51	कृषि	पर्यटन
6.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	468	58.47	कृषि	पर्यटन
7.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	469	26.53	कृषि	पर्यटन

1	2	3	4	5	6
8.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	471	100.00	कृषि	पर्यटन
9.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	472	139.81	कृषि	पर्यटन
10.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	474	170.62	कृषि	पर्यटन
11.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	475	161.58	कृषि	पर्यटन
12.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	476	179.91	कृषि	पर्यटन
13.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	477	223.69	कृषि	पर्यटन
14.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	478	210.00	कृषि	पर्यटन
15.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	479	170.00	कृषि	पर्यटन
16.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	480	240.00	कृषि	पर्यटन
17.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	482	160.00	कृषि	पर्यटन
18.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	483	140.00	कृषि	पर्यटन
19.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	484	160.00	कृषि	पर्यटन
20.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	485	180.00	कृषि	पर्यटन
21.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	486	110.00	कृषि	पर्यटन
22.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	487	140.00	कृषि	पर्यटन
23.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	489	330.00	कृषि	पर्यटन
24.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	491	50.00	कृषि	पर्यटन
25.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	492	50.00	कृषि	पर्यटन
26.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	493	60.00	कृषि	पर्यटन
27.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	494	110.00	कृषि	पर्यटन
28.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	495	260.00	कृषि	पर्यटन
29.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	496	150.00	कृषि	पर्यटन
30.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	481 और 497 के बीच में	335.00	कृषि	पर्यटन
			335.00	कृषि	पर्यटन
31.	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	481	460.00	कृषि	पर्यटन
	कुल		5135.36		

3. ऋषिकेश महायोजना–2011 में प्रस्तावित संशोधन भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ऋषिकेश महायोजना के संबंध में निर्गत अधिसूचना दिनांक 01.02.1989 एवं दिनांक 14.09.2006 से आच्छादित एवं प्रभावित होगी।

आज्ञा से,
नितेश कुमार झा,
सचिव।

पर्यटन अनुभाग

अधिसूचना

प्रकीर्ण

27 नवम्बर, 2018 ई0

संख्या 2126/VI(1)/2018–117(पर्य0)/2001–श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 20 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली, 2018" को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त किए जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

प्रकीर्ण

27 नवम्बर, 2018 ई0

संख्या 2126/VI(1)/2018–117(पर्य0)/2001–श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 20 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002" में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली, 2018"

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम **"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली, 2018"** है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन 2. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
6–राजकीय सहायता स्वीकृत किए जाने हेतु प्रयोजन पूंजीगत राजकीय सहायता, निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है :–	**6–राजकीय सहायता स्वीकृत किए जाने हेतु प्रयोजन** पूंजीगत राजकीय सहायता, निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है :–
1. पर्यटकों की सुविधा हेतु बस व टैक्सी को खरीदने तथा उसका संचालन प्रमुख स्थलों पर करने हेतु।	1. पर्यटकों की सुविधा हेतु बस व टैक्सी को खरीदना तथा उसका संचालन प्रमुख स्थलों पर करना।
2. यात्रा मार्गो व पर्यटन स्थलों पर फास्ट फूड केन्द्र/रैस्टोरेंट्स की स्थापना।	2. यात्रा मार्गो व पर्यटन स्थलों पर फास्ट फूड केन्द्र/रैस्टोरेंट्स की स्थापना।
3. मोटर यानों की मरम्मत के लिए यात्रा मार्गो पर मोटर वर्कशाप गैराजों की स्थापना और ऐसे गैराजों का सुधार।	3. मोटर यानों की मरम्मत के लिए यात्रा मार्गो पर मोटर वर्कशाप गैराजों की स्थापना और ऐसे गैराजों का सुधार।

4. यात्रा मार्गो तथा पर्यटन स्थलों पर छोटे–छोटे एक या दो कक्षीय साधना केन्द्र या मोटेलनुमा 8–10 कक्षीय आवासीय सुविधा की स्थापना, पेइंग गैस्ट योजना।

5. रिवर राफ्टिंग के लिए चिन्हांकित स्थलों, ट्रैकिंग मार्गो, यात्रा परिपथों एवं अल्पज्ञात पर्येटक स्थलों पर टैन्टेज, आवासीय सुविधाओं की स्थापना।

6. पर्यटन स्थलों पर स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना।

7. पी0सी0ओ0 तथा आधुनिक सुविधाओं से सज्जित पर्यटक सूचना केन्द्र का निर्माण।

8. साहसिक खेलों के स्थलों पर साहसिक कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरणों (सुरक्षा कार्य हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों सहित) की व्यवस्था।

9. उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये किसी अन्य कार्य या क्रियाकलाप के लिये जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस नियमावली के अधीन राजकीय सहायता देने के लिये अनुमोदित किया जाय, परन्तु राजकीय सहायता ऐसे पूंजी संकर्म की मदों पर व्यय के लिये दी जायेगी, जिन्हें वित्तीय संस्था/संस्थाओं, बैंक/बैंको से प्राप्त ऋण की सहायता से प्रारम्भ किया गया हो, पूंजी संकर्म के अन्तर्गत योजनाओं पर अनावर्तक व्यय ही मान्य होगा।

10. उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त क्षेत्र विशेष के आकर्षणों एवं विशेषताओं के अनुरूप कोई अभिनव परियोजना भी किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है, जिला स्तर समिति द्वारा इस पर विचार किया जायेगा एवं इसे सम्मिलित करने हेतु अपनी संस्तुति के साथ उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

4. पेइंग गैस्ट योजना के अन्तर्गत, यात्रा मार्गो तथा पर्यटन स्थलों पर छोटे–छोटे एक या दो कक्षीय साधना केन्द्र या मोटेलनुमा 8–10 कक्षीय आवासीय सुविधा की स्थापना, ।

5. रिवर राफ्टिंग के लिए चिन्हांकित स्थलों, ट्रैकिंग मार्गो, यात्रा परिपथों एवं अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों पर टैन्टेज, आवासीय सुविधाओं की स्थापना।

6. पर्यटन स्थलों पर स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना।

7. आधुनिक सुविधायुक्त पर्यटन सूचना केन्द्र।

8. साहसिक खेलों के स्थलों पर साहसिक कार्यकलापों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरणों (सुरक्षा कार्य हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों सहित) की व्यवस्था।

9. उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कोई अन्य कार्य या क्रियाकलाप जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस नियमावली के अधीन राजकीय सहायता देने के लिये अनुमोदित किया जाय, परन्तु राजकीय सहायता ऐसे पूंजी संकर्म की मदों पर व्यय के लिये दी जायेगी, जिन्हें वित्तीय संस्था/संस्थाओं या बैंक/बैंकों से प्राप्त ऋण की सहायता से प्रारम्भ किया गया हो, पूंजी संकर्म के अन्तर्गत योजनाओं पर अनावर्ती व्यय ही मान्य होगा।

10. उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त क्षेत्र विशेष के आकर्षणों एवं विशेषताओं के अनुरूप कोई अभिनव परियोजना भी किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है, जिला स्तर समिति द्वारा इस पर विचार किया जायेगा एवं इसे सम्मिलित करने हेतु अपनी संस्तुति के साथ उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

11. क्याकिंग / नाव का क्रय एवं संचालन।
12. पर्यटन हेतु टेरेन बाइक्स (Terrain Bikes) (न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 10) के क्रय हेतु।
13. कैरावैन / मोटर होम टूरिज्म।
14. एंगलिग उपकरणों का क्रय।
15. स्टार गेजिंग एवं बर्डवाचिंग हेतु उपकरणों का क्रय
16. लॉन्ड्री की स्थापना।
17. बेकरी को स्थापित किया जाना।
18. स्मरणीय वस्तु (मैमोराबिलिया) युक्त संग्रहालय का निर्माण एवं मैमोराबिलिया / स्मारिका (SOUVENIR) केन्द्र की स्थापना।
19. फ्लोटिंग होटल का निर्माण
20. ट्रैकिंग उपकरणों, सूट, जैकेट इत्यादि को किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्रों की स्थापना।
21. हर्बल टूरिज्म।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 2126/VI(1)/2018-117 (Tourism)/2001,** Dated November 27, 2018 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

November 27, 2018

No. 2126/VI(1)/2018-117 (Tourism)/2001--In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 20 of the "Uttarakhand Tourism Development Board ACT, 2001 read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand) the Governor is pleased to make the following Rules to further amend the Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Self Employment Scheme Rules, 2002:--

The Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Self Employment Scheme (Amendment) Rules, 2018

Short title & Commencement

1. (1) These rules may be called the "Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Self Employment Scheme (Amendment) Rules, 2018."

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 6

2. In the Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Self Employment Scheme Rules, 2002, for the existing Rule 6 set out in Column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :--

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby Substituted
6- Purpose for approval of government subsidy Government capital subsidy may be sanctioned for any one or more of the following purposes:-	**6- Purpose for approval of government subsidy** Government capital subsidy may be sanctioned for any one or more of the following purposes:-
1. For the purchasing of buses and taxies for convenience of tourists and operating it on principal sites.	1. Purchasing of buses and taxies for convenience of tourists and operating it on principal sites.
2. Establishment of fast food Center/ Restaurants on travel routes and tourist places.	2. Establishment of fast food Center/ Restaurants on travel routes and tourist places.
3. Establishment of motor workshop garages on the travel routes for the repair of motor vehicles and improvement of such garages.	3. Establishment of motor workshop garages on the travel routes for the repair of motor vehicles and improvement of such garages.
4. Establishment of small meditation center of one or two rooms or motel type accommodation facility of 8-10 rooms on travel routes and tourist places under paying guest scheme.	4. Establishment of small meditation center of one or two rooms or motel type accommodation facility of 8-10 rooms on travel routes and tourist places under paying guest scheme.

5. Establishment of tentage accommodation facilities at the sites identified for river rafting, trekking routes, travel circuits and lesser known tourist places..	5. Establishment of tentage accommodation facilities at the sites identified for river rafting, trekking routes, travel circuits and lesser known tourist places.
6. Establishment of local symbolic goods sales centers at tourist places.	6. Establishment of local symbolic goods sales centers at tourist places.
7. P.C.O and Modern convenient tourist Information Centers .	7. Modern convenient tourist Information Centers.
8. Arrangement of necessary equipments (including equipments used for safety purpose) for the implementation of adventure activities at adventure sports sites.	8. Arrangement of necessary equipments (including equipments used for safety purpose) for the implementation of adventure activities at adventure sports sites .
9. For promoting tourism in Uttarakhand, for any other work or activity that may be approved by the State Government to provide subsidy under these Rules, from time to time but government subsidy shall be given expenditure, on such items of capital work, which have been incurred from the loan taken from the financial institute/institutes/ bank/banks, only non-recurring expenditure shall be admissible on the schemes under capital works.	9. Any other work or activity for promoting tourism in Uttarakhand, that may be approved by the State Government to provide subsidy under these Rules, from time to time but government subsidy shall be given for expenditure, on such items of capital work, which have been started from the loan taken from the financial institute/institutes/ bank/banks, only non-recurring expenditure shall be admissible on the schemes under capital works.

10. In addition to the above mentioned schemes, any innovative project may be produced by any applicant according to the features and attractions of the area, it shall be considered by the District Level Committee and shall be presented along with its recommendation to the Uttaranchal Tourism Development Board for comprising it .

10. In addition ot the above mentioned schemes, any innovative project may be produced by any applicant according to the features and attractions of the particular area, it shall be considered by the District Level Committee and shall be forwarded along with its recommendation to the Uttaranchal Tourism Development Board for comprising it.

11. Purchase and operation of kayaking/ Boat.

12. Purchase of Terrain Bikes for tourism (minimum 5 and maximum 10).

13. Caravan/ Motor Home for tourism .

14. Purchase of angling equipments.

15. Purchase of instruments for star gazing and bird watching.

16. Establishment of laundry.

17. Establishment of bakery.

18. Construction of a museum contained with memorabilia goods and the

establishment of memorabilia/souvenir selling center.

19. Construction of floating hotels.

20. Establishment of centres for providing trekking equipments, suits, jackets etc. on rent.

21. Herbal Tourism.

By Order,

DILIP JAWALKAR,
Secretary.

वित्त अनुभाग–9

कार्यालय आदेश

26 अक्टूबर, 2018 ई0

संख्या 357/2018/XXVII(9)/स्टाम्प–01/2015–स्टॉम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अन्तर्गत तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में स्थापित/संचालित 03 (तीन) उप निबन्धक कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय को व्यापक जनहित एवं कार्यों के निस्तारण की सुलभता के संदर्भ में स्थानान्तरित/स्थापित किए जाने विषयक प्राप्त विभिन्न अनुरोधों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि "उप निबन्धक, तृतीय, कार्यालय रुड़की" को इसी नाम से तहसील भगवानपुर में स्थानान्तरित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

सिंचाई विभाग

पदोन्नति/पदस्थापना

31 अक्टूबर, 2018 ई0

संख्या 2155/II(1)–2018–01(73)/2017–नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री मोहन चन्द्र पाण्डे, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13क–₹ 1,31,100–2,16,600 में मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 (सिविल) के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री मोहन चन्द्र पाण्डे को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

4. श्री मोहन चन्द्र पाण्डे द्वारा वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण किया जाएगा तथा इनके पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

आज्ञा से,

देवेन्द्र पालीवाल,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/674–भाग 1–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 ई0 (पौष 01, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 349/UHC/Admin.A/2018–Sri Shrikant Pandey, Judge Family Court, Tehri Garhwal is repatriated and posted as 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun *vice* Sri Gurubaksh Singh.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 350/UHC/Admin.A/2018–Sri Sahdev Singh, Additional District & Sessions Judge, Kotdwar, District Pauri Garhwal is transferred and posted as 1st Additional District and Sessions Judge, Hardwar in the vacant Court.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 351/UHC/Admin.A/2018–Sri Shankar Raj, Chairman, Permanent Lok Adalat, Hardwar is repatriated and posted as 4th Additional District & Sessions Judge, Dehradun *vice* Sri Subir Kumar.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 352/UHC/Admin.A/2018–Sri Gurubaksh Singh, 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is posted as 5th Additional District & Sessions Judge, Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 353/UHC/Admin.A/2018–Sri Dharam Singh, Judge Family Court, Nainital is repatriated and posted as 6th Additional District & Sessions Judge, Dehradun *vice* Sri Anirudh Bhatt.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 354/UHC/Admin.A/2018–Sri Subir Kumar, 4th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is posted as 7th Additional District & Sessions Judge, Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 355/UHC/Admin.A/2018–Sri Bindhyachal Singh, Judge Family Court, Kotdwar, District Pauri Garhwal is repatriated and posted as Additional District Judge, Commercial Court, Dehradun in the vacant Court (created *vide* G.O. No. 328/XXXVI(1)/2017-04-Mu.Sa/2015,dated 31.10.2017)

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 356/UHC/Admin.A/2018–Smt. Neena Aggarwal, Additional District & Sessions Judge, Tehri Garhwal is transferred and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Haridwar in the vacant Court.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 357/UHC/Admin.A/2018–Sri Bharat Bhushan Pandey, Additional District & Sessions Judge, Rudraprayag is transferred and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Hardwar *vice* Ms. Reena Negi.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 358/UHC/Admin.A/2018–Sri Varun Kumar, 4th Additional District & Sessions Judge, Hardwar is posted as 3rd Additional District & Sessions Judge, Hardwar in the vacant Court with additional charge of Additional Secretary, Law, Uttarakhand Public Service Commission, Haridwar.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 359/UHC/Admin.A/2018–Sri Anirudh Bhatt, 6th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is posted as 8th Additional District & Sessions Judge, Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 360/UHC/Admin.A/2018–Ms. Reena Negi, 2nd Additional District & Sessions Judge, Hardwar is posted as 4th Additional District & Sessions Judge, Hardwar *vice* Sri Varun Kumar.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 361/UHC/Admin.A/2018–Ms. Parul Gairola, 2nd Additional District & Sessions Judge, Nainital is transferred and posted as 5th Additional District & Sessions Judge, Haridwar in the vacant Court.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 362/UHC/Admin.A/2018–Pursuant to Government Notification No. 361/XXX(4)/2018-04(1)/2018, dated 16.11.2018, Sri Kuldeep Sharma, Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070, is posted as Additional District & Sessions Judge, Bageshwar *vice* Sri Shamsher Ali.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 363/UHC/Admin.A/2018–Pursuant to Government Notification No. 361/XXX(4)/2018-04(1)/2018, dated 16.11.2018, Sri Nandan Singh, Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070, is posted as Additional District & Sessions Judge, Rudraprayag *vice* Sri Bharat Bhushan Pandey.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 364/UHC/Admin.A/2018–Pursuant to Government Notification No. 361/XXX(4)/2018-04(1)/2018, dated 16.11.2018, Sri Arvind Nath Tripathi, Chief Judicial Magistrate, Nainital, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070, is posted as Additional District & Sessions Judge, Tehri Garhwal *vice* Ms. Neena Aggarwal.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 365/UHC/Admin.A/2018–Pursuant to Government Notification No. 361/XXX(4)/2018-04(1)/2018, dated 16.11.2018, Sri Rakesh Kumar Singh, Chief Judicial Magistrate, Chamoli, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070, is posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Nainital *vice* Ms. Parul Gairola.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 366/UHC/Admin.A/2018–Pursuant to Government Notification No. 361/XXX(4)/2018-04(1)/2018, dated 16.11.2018, Ms. Pratibha Tiwari, Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070, is posted as Additional District & Sessions Judge, Kotdwar, District Pauri Garhwal *vice* Sri Sahdev Singh.

NOTIFICATION

November 29, 2018

No. 367/UHC/Admin.A/2018–Pursuant to Government Notification No. 361/XXX(4)/2018-04(1)/2018, dated 16.11.2018, Sri Rajoo Kumar Srivastava, Chief Judicial Magistrate, Hardwar, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550-1,230-58,930-1,380-63,070, is posted as Additional District & Sessions Judge, Almora *vice* Sri Rahul Garg.

Above transfer orders will come into force after the posting orders of following officers are issued by the Government.

Recommendation has been sent to the State Government for posting of following officers :

1. Sri Amit Kumar Sirohi as judge, Family Court, Almora.
2. Sri Shamsher Ali for the posting as judge, Family Court, Pauri Garhwal.
3. Sri Ajay Chaudhary for the posting as Judge, Family Court, Vikasnagar, Dehradun.
4. Sri Pankaj Tomar for the posting as Judge, Family court, Haldwani, District Nainital.
5. Sri Rahul Garg for the posting as Judge, Family Court, Kashipur, District Udham Singh Nagar.
6. Sri Brijendra Singh for the posting as Judge, Family Court, Nainital.
7. Smt. Neelam Ratra for the posting as Judge, Family Court, Laksar, District Hardwar.
8. Sri Abdul Qayyum for the posting as Judge, Family Court, Khatima, District Udham Singh Nagar.
9. Sri Mithilesh Jha for the posting as Judge, Family Court, Tehri Garhwal.

By Order of the Court,

Sd/-
PRADEEP PANT,
Registrar General.

कार्यालय–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

27 अक्टूबर, 2018 ई0

पत्रांक–5544/आयुक्त राज्य कर/उत्तरा0/फार्म–अनु0/2018–19/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, अग्रसारित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–11, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किए जाने का कारण
1.	सर्वश्री एलेक्सीया पैनल्स, 14/1, न्यू रोड, देहरादून, टिन–05009560151	प्रारुप–XI (02)	U.K.VAT-C-2009 101421, 101422	खोने के कारण

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

22 अक्टूबर, 2018 ई0

संख्या 695/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2018–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संतुति की गई है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित चालकों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री बालम सिंह, ग्राम सकल्यानी, पो0 लैन्सडाउन, जनपद पौड़ी गढ़वाल	UK-1520010013880, VALIDITY (NT)-14.06.2021, VALIDITY (T)-14.06.2019	ओवरलोड सवारी (यात्री वाहन)	ARTO, RUDRAPRAYAG	22.10.2018 से 21.11.2018

मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/674–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 ई0 (पौष 01, 1940 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर

अधिसूचना की सूचना

16 अक्टूबर, 2018 ई0

पत्रांक–439/पंचा0चुना0/स्था0नि0निर्वा0–2018/2018–19–"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–यक तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रंजना राजगुरू, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0), बागेश्वर, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या–875/रा0नि0आ0–3/1379/2013, दिनांक 15.10.2018 के क्रम में, एतद्द्वारा जनपद की नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर एवं नगर पंचायत, कपकोट के सदस्यों तथा उनके अध्यक्षों का निर्वाचन निम्नलिखित विवरणानुसार एवं विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार मतपत्रों (गूढ़श्लाका) द्वारा कराये जाने हेतु अधिसूचित करती हूँ।

2. यदि किन्हीं नगर निकायों के संबंध में मा0 न्यायालयों के अन्यथा कोई आदेश हों तो तद्नुसार मा0 न्यायालयों के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस निर्वाचन में वहीं निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच की तिथि व समय	नाम–निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
20 अक्टूबर, 2018 एवं 22, 23 अक्टूबर, 2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	25 अक्टूबर, 2018 एवं 26 अक्टूबर, 2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	27 अक्टूबर, 2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	29 अक्टूबर, 2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18 नवम्बर, 2018 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	20 नवम्बर, 2018 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

4. उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–अधिसूचना संख्या–2893/IV(3)2018–1 (3 न0नि0)/2017, दिनांक 14 अक्टूबर, 2018 एवं अधिसूचना संख्या–2894/IV(3)2018–1(3न0नि0)/2017, दिनांक 14 अक्टूबर, 2018 एवं अधिसूचना संख्या 2895/IV(3)2018–1(3न0नि0)/2017, दिनांक 14 अक्टूबर,2018 तथा अधिसूचना संख्या–2896/IV(3)/2018–1(3न0नि0)/2017, 2012, दिनांक 14 अक्टूबर, 2018, जिसके द्वारा क्रमशः अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, अध्यक्ष, नगर पंचायत, कपकोट एवं नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर के सदस्यों तथा नगर पंचायत, कपकोट के सदस्यों के पदों का आरक्षण अधिसूचित किया गया है और जो निम्न प्रकार से है, के अनुसार निर्वाचन कराये जाने हेतु आदेशित करती हूँ:–

स्थानीय निकाय बागेश्वर के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों के आरक्षण का विवरणः–

नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर			
क्रमांक	पद का नाम	निकाय का नाम/वार्ड संख्या व नाम	आरक्षण की श्रेणी
1.	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर	अनारक्षित
2.	सदस्य	01. बिलौनासेरा	अनारक्षित
3.	–तदैव–	02. नारायणदेव	महिला
4.	–तदैव–	03. ज्वालादेवी	महिला
5.	–तदैव–	04. श्री सैम मंदिर	महिला
6.	–तदैव–	05. बागनाथ	अनारक्षित
7.	–तदैव–	06. ठाकुरद्वारा	अनारक्षित
8.	–तदैव–	07. कठायतबाड़ा	अनारक्षित
9.	–तदैव–	08. मण्डलसेरा उत्तर	अनुसूचित जाति
10.	–तदैव–	09. मण्डलसेरा दक्षिण	अनुसूचित जाति (महिला)
11.	–तदैव–	10. माँ चण्डिका	पिछड़ी जाति
12.	–तदैव–	11. वेणीमाधव	अनुसूचित जाति
नगर पंचायत, कपकोट			
1.	अध्यक्ष	नगर पंचायत, कपकोट	अनारक्षित
2.	सदस्य	01. मण्डलखेत	महिला
3.	–तदैव–	02. कपकोट बाजार	अनारक्षित
4.	–तदैव–	03. शिवालय	महिला
5.	–तदैव–	04. भराडी	अनारक्षित
6.	–तदैव–	05. ऐठाण	अनु0जाति (महिला)
7.	–तदैव–	06. पालीडुंगरा	अनारक्षित
8.	–तदैव–	07. खीरगंगा	अनारक्षित

संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर) द्वारा उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार–पत्रों एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा, इसके लिए स्थानीय समाचार–पत्रों तथा नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर एवं नगर पंचायत, कपकोट में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों, मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाय।

5. नाम–निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम–निर्देशन पत्रों की जाँच तथा नाम–निर्देशन पत्रों की वापसी एवं प्रतीक आवंटन की कार्यवाही नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर हेतु नियुक्त निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर)/ सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर) द्वारा उप जिलाधिकारी, बागेश्वर के न्यायालय कक्ष में की जायेगी तथा अध्यक्ष एवं सदस्य की मतों की गणना का कार्य निर्धारित तिथि व समय दिनांक 20 नवम्बर, 2018 (पूर्वान्हः 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर का सांस्कृतिक कार्यक्रम हॉल में होगी।

6. नाम–निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम–निर्देशन पत्रों की जाँच तथा नाम–निर्देशन पत्रों की वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही नगर पंचायत, कपकोट हेतु नियुक्त निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर)/ सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर) द्वारा उप जिलाधिकारी, कपकोट के न्यायालय कक्ष में की जायेगी तथा अध्यक्ष एवं सदस्य की मतों की गणना का कार्य निर्धारित तिथि व समय दिनांक 20 नवम्बर, 2018 (पूर्वान्ह 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) विकास खण्ड कार्यालय, कपकोट के पुराने सभागार में होगी।

7. उक्त समय–सारणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

रंजना राजगुरू,
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागेश्वर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/674–भाग 3–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 ई0 (पौष 01, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

I, Raj Bala W/o Joginder Dass Mahant, R/o H.No. 380 Avas Vikas, Roorkee (Haridwar), UK 247667 have changed my name from Raj Bala to Ritika Mahant for all future purpose.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

Ritika Mahant W/o Joginder Dass Mahant, R/o H.No. 380 Avas Vikas, Roorkee (Haridwar), UK 247667

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/674–भाग 8–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।